

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 497 सन 2019

अनवान :-

1. राकेश पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. बृजलाल पुत्र सागरमल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
2. कन्हैयालाल पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
3. श्यामलाल पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
4. सुभाष पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
5. ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
6. बजरग पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
7. शेरसिंह पुत्र राजेन्द्र जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
8. प्रमोद पुत्र भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
9. जसोदा पुत्री स्व भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
10. पुष्पा पुत्री भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
11. पूनम पुत्री भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
12. सुमन पुत्री स्व राजेन्द्र जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
13. शारदा पुत्री बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
14. मैनादेवी पुत्री बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 78/81 की कुल 4.5540 हैक् एवं खाता संख्या 79/82 की कुल 0.5060 हैक् व खाता संख्या 14/12 की कुल 4.8070 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके पुत्र बृजलाल पर उसके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई बृजलाल के पुत्र पुत्रीयो में 1 ता 6 ,13 ,14 है बृजलाल के मृतक पुत्र राजेन्द्र के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,12 है एवं दुसरे मृतक पुत्र भीमसैन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है इसप्रकार बृजलाल के नाम से दर्ज पैतृक सम्पति के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पुत्र की पुत्रीया/पत्नि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 2 का पिता है प्रतिवादी संख्या 1 ,9 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई गर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाये की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिय के खानेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जाये।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 9 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शागिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि उसके पुत्र बृजलाल पर उसके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई बृजलाल के पुत्र पुत्रीयो में 1 ता 6, 13, 14 है बृजलाल के मृतक पुत्र राजेन्द्र के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7, 12 है एवं दुसरे मृतक पुत्र भीमसैन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है इसप्रकार बृजलाल के नाम से दर्ज पैतृक सम्पत्ति के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं पुत्र की पुत्रीया/पत्नि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 2 का पिता है प्रतिवादी संख्या 1, 9 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है

उपरोक्त अधिका  
बोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 78/81 की कुल 4.5540हैक् एवं खाता संख्या 79/82 की कुल 0.5060हैक् व खाता संख्या 14/12 की कुल 4.8070हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग पुरानी जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि सागरमल पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा सागरमल पुत्र भूराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1,9 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1,9 ता 14 स्वयं उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1,9 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 78/81 की कुल 4.5540हैक् भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिब एवं वादी संख्या 2 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का 5/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 79/82 की कुल 0.5060हैक् व खाता संख्या 14/12 की कुल 4.8070हैक् में से 40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकांशकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राकेश पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

- 1 बृजलाल पुत्र सागरमल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 2 कन्हैयालाल पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 3 श्यामलाल पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 4 सुभाष पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 5 ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 6 बजरग पुत्र बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 7 शेरसिंह पुत्र राजेन्द्र जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 8 प्रमोद पुत्र भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 9 जसोदा पुत्री स्व भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 10 पुष्पा पुत्री भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 11 पूनम पुत्री भीमसैन जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 12 सुमन पुत्री स्व राजेन्द्र जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 13 शारदा पुत्री बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 14 मैनादेवी पुत्री बृजलाल जाति माली निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
- 15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 497 सन 2019 निर्णय दिनांक- 16/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 78/81 की कुल 4.5540 हैक् भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिब , एवं वादी संख्या 2 अकेला 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का 5/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 79/82 की कुल 0.5060 हैक् व खाता संख्या 14/12 की कुल 4.8070 हैक् में से 40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )